

अति महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या: ए-

/चार-विविध/अधि०-१४४/ज०हि०गा०अधि०/दिनांक:इला०,जनवरी

८७

, 2014

समस्त उप आबकारी आयुक्त,
प्रभार, उत्तर प्रदेश।

विषय: जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित सेवाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराए जाने विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र संख्या: 2815ई-२/तेरह-१३-८१/२०१२, दिनांक १९.१२.२०१३ (मय संलग्नक) एवं निर्धारित प्रारूप-१, २ व ३ (छाया प्रतियां संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनहित गारण्टी अधिनियम से आच्छादित विभाग की १४ सेवाओं, जिनका उल्लेख प्रारूप-१, २ व ३ में किया गया है, के लिए प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

१. प्रथम अपीलीय अधिकारी-

सेवा हेतु स्वीकर्ता अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी।

२. द्वितीय अपीलीय अधिकारी-

सेवा हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी।

(नोट-जिन सेवाओं/प्रकरणों में स्वीकर्ता अधिकारी आबकारी आयुक्त, उ०प्र० हैं, उनके सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय व द्वितीय अपीलीय अधिकारी तथा जिन सेवाओं/प्रकरणों में स्वीकर्ता अधिकारी अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उ०प्र० हैं, उनमें द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किए जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है, जिसकी सूचना बाद में प्रेषित की जाएगी।)

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासकीय पत्र में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप-१, २ व ३ में अपने कार्यालय एवं प्रभार से सम्बन्धित जनपदों (प्रवर्तन/आसवनियाँ/एस०एस०एफ०/मण्डल में अवस्थित जोन कार्यालय सहित) की सूचनाएँ संकलित कर प्रत्येक माह की २ तारीख तक हर दशा में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार मुख्यालय स्तर पर इसे संकलित कर शासन की अपेक्षानुसार प्रत्येक माह की ३ तारीख तक प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

(सन्दीप कुमार शर्मा)

अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

२९८४२-२९८४२

संख्या: ए-

/चार-विविध/अधि०-१४४/ज०हि०गा०अधि०/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

१. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
२. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को उक्त पत्र/प्रारूप पोर्टल पर लोड कराने हेतु।
३. अनुभाग अधिकारी, लाइसेंस एवं अल्कोहल अनुभाग, मुख्यालय।
४. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद, उत्तर प्रदेश।
५. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनियाँ, उत्तर प्रदेश।
६. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, (प्रवर्तन)/एस०एस०एफ० इकाईयाँ, उत्तर प्रदेश।
७. समस्त पटल सहायक, प्रबन्ध अनुभाग, मुख्यालय।

(सन्दीप कुमार शर्मा)

अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।